अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कंचन v/s रामपाल

2024/44

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
श्री सीताराम यादव एड० श्री	

श्रीमती कंचन बनाम रामपाल व अन्य (2024/44/225)

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र हेतु पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि दावाकृत भूमि ग्राम गुदली के खाता संख्या 70/70 के हाल खसरा नम्बर 155 रकबा 0.30, खसरा संख्या 156 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 159/430 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 047 है0 प्रार्थी/अपीलार्थीया की खातेदारी भूमि है जिस पर अपीलार्थीया वर्षो से काबिज चली आ रहा है किन्तु अपीलार्थीया के विरूद्ध भूमि पर स्थगन आदेश प्रदत्त किया गया किया गया की आड़ में रेस्पोडेन्टस बेदखल करने की धमकी दे रहे है जिससे अपीलार्थीया द्वारा अपने अधिवक्ता से दिनांक 17.02.2024 को संपर्क करने पर अधिवक्ता द्वारा आदेश दिनांक 30.09.2021 की पत्रावली प्रदत्त की गयी तब उक्त स्थगन आदेश की अपीलार्थीया को जानकारी हुई तत्पश्चात अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानूनी सलाह प्राप्त कर अविलम्ब अपीलांट ने यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील में हुयी देरी को क्षमा किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र निवेदन किया कि दावाकृत भूमि ग्राम गुदली के खाता संख्या 70/70 के हाल खसरा नम्बर 155 रकबा 0.30, खसरा संख्या 156 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 159/430 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 047 है0 प्रार्थी/अपीलार्थीया की खातेदारी भूमि है जिस पर अपीलार्थीया वर्षो से काबिज चली आ रहा है किन्तु अपीलार्थीया के विरूद्ध भूमि पर स्थगन आदेश प्रदत्त किया गया किया गया की आड में रेस्पोडेन्टस बेदखल करने की धमकी दे रहे है तथा भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहते है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा ग्राम गुदली के खाता संख्या 70/70 के हाल खसरा नम्बर 155 रकबा 0.30, खसरा संख्या 156 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 159/430 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 047 है0 पर दिनांक 30.09.2021 के आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित किये जानें का निवेदन किया।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्रों पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना–पत्र व अपील का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हम सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र में किये गये कथन संतोषजकन एवं सद्भाविक होने से न्यायहित में प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा अपील में हुयी देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार.....

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

44/2024/225 कंचन v/s रामपाल

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
	2024/44
पेशी	श्री सीताराम रावत P50 श्री

लगातार...

तत्पश्चात स्थगन प्रार्थना–पत्र पर आदेश दिया जाना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया।बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2021 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई है। जो कि अन्तिम आदेश नहीं होकर, अन्तरिम आदेश है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना मे अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। अभिभाषक अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 30.09.2021 के विरूद्ध दिनांक 20.02.2024 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। प्रार्थी वर्तमान रेस्पोडेन्ट रामपाल के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.09.2021 को यह आदेश दिये कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आगामी सुनवाई दिनांक 29.10.2021 तक विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का ऐतराज हो तो असालतन/वकालतन नियत दिनांक 29.10.2021 को प्रातः 10 बजे उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट को अपना जवाब प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही चाराजोई करना चाहिए था क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन के सम्बन्ध में ऐतराज होने पर दिनांक 29.10.2021 को उपस्थित होने का आदेश अंकन किया है। अपीलांट ने अपनी अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज में केवल अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2021 की आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं जमाबंदी सम्वत 2071–2074 एवं खसरा गिरदावरी (प–13)(रबी सम्वत 2076) की प्रति पेश की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2021 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 20.02.2024 को प्रस्तुत की है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की केवल एक आदेशिका दिनांक 30.09.2021 की प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त प्रार्थना–पत्र में दिनांक 30.09.2021 से 20.02.2024 तक किस–किस अप्रार्थीगण की तामील हुयी या नहीं हुयी तथा किस–किस ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया तथा प्रकरण में क्या प्रक्रिया चल रही है अपील के अवलोकन से प्रतीत नही होती है। अपीलार्थी न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथो से नही आये है तथा जो पक्षकार तथ्यों को छीपाकर न्यायालय के समक्ष आया हो वह किसी भी तरह का अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नही है।अपीलांट स्वच्छ हाथो से न्यायालय हाजा के समक्ष नही आने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील ... 191 सीताराम रावत